राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2264/2016/अजमेर

मैसर्स सुमित ट्रेडर्स,
मुख्यालय जूनिया (केकड़ी) अजमेर,
ब्रान्च बून्दी। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय – सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 65/वैट/15–16/केकड़ी में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 38,740/– को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय, आबूरोड़ (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 14.04.2015 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या AP–16–TY–4335 को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जांच हेतु रोका गया। वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल "बल्लियां" के संबंध में वाहन चालक/माल प्रभारी से पूछताछ करने पर वाहन चालक ने बताया कि परिवहनित माल नेलूर से सुमेरपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा है। जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा इन्वॉयस क्रमांक 3638/10.04.2015, भाड़ा पर्ची रूपये 74,800/– व तौल पर्ची क्रमांक 2724 दिनांक 10.04.2015 वजन 21110 कि.ग्रा. अंकित था, प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर जांच अधिकारी ने पाया कि उक्त माल का बिल बूंदी के लिए था,

लगातार.....2

परन्तु वाहन चालक/माल प्रभारी ने माल सुमेरपुर के लिए बताया। जांच अधिकारी के पूछने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित घोषणा पत्र वैट–47 नहीं होना जाहिर किया, जिसे जांच अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) की अवहेलना मानते हुए वाहन मय माल को धारा 76(5)(ए) के तहत् निरूद्ध किया जाकर अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने अभियोग पत्रावली का अवलोकन कर अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6)(12) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी व्यवहारी के जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 38,740/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी ने माल का राज्य के बाहर से क्रय कर, उसका विक्रय सीधे मैसर्स सुमेर टिम्बर उद्योग, सुमेरपुर को कर दिये जाने के कारण भाडा बचत के लिए परिवहनित माल बूंदी के बजाय सीधे सुमेरपुर भिजवा दिया, जिसके बिल की कॉपी भी क्रेता व्यापारी को सीधे ई–मेल द्वारा भिजवा दी गई थी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष परिवहनित माल के साथ अंतर्राज्यीय खरीद के बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वाहन चालक/माल प्रभारी से पूछने पर उसने बताया कि परिवहनित माल नेलूर से सुमेरपुर के लिए जा रहा है, परन्तु उसके पास सुमेरपुर के लिए कोई बिल/बिल्टी अथवा कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जो बिल/बिल्टी मौजूद थे वो बूंदी के लिए थे। साथ ही राज्य बाहर से माल का क्रय किये जाने के पश्चात् भी आवश्यक दस्तावेज वैट–47 उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी

लगातार.....3

द्वारा करापवंचन की दृष्टि से माल का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से शास्ति का आरोपण किया है। उन्होंने आगे अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल (बल्लियों) का राज्य बाहर (नेलूर, आन्ध्रप्रदेश) से क्रय कर राज्य भीतर (बूंदी, राजस्थान) लाया जा रहा था। वक्त परिवहन जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में वाहन चालक/माल प्रभारी से पूछताछ पर पाया कि उक्त माल नेलूर से सुमेरपुर, (राजस्थान) ले जाया जा रहा है, जिनके दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि उक्त माल से संबंधित दस्तावेजात यथा बिल/बिल्टी नेलूर से बूंदी के लिए है, इस प्रकार परिवहनित माल के साथ राज्य बाहर से माल के आयात होने के कारण आवश्यक दस्तावेज वैट–47 उपलब्ध नहीं था, साथ ही सुमेरपुर बिक्री हो जाने के संबंध में भी कोई प्रमाण यथा बिल/बिल्टी नहीं मिले। जो कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के अनुसार

76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement.–

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(a) .....;

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) .....;

इससे स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं वैट–47 (राज्य बाहर से आयात पर) का होना आवश्यक है, जबकि अपीलार्थी ने परिवहनित माल के साथ राज्य बाहर से आयात के संबंध में ना तो वैट–47 प्रस्तुत किया और ना ही बूंदी से सुमेरपुर बिक्री के संबंध में कोई बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत किये।

7. अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्ण रूप से विधिसम्मत प्रतीत होने से अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को यथावत् रखा जाता है।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य